न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर
दीवानी वाद संख्या 23/2025
मांगीलाल बनाम बालमुकुन्द (मृतक) जरिये वारिसान व अन्य

17.09.2025

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अविनाश टांक उपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र वास्ते दस्तावेज को Impound कराने हेतु दिनांक 20.05.2025 को पेश किया, जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा बार–बार जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया है। उनका निवेदन है कि यह प्रार्थना–पत्र उन्होंने दिनांक 20.05.2025 को पेश किया था, उसके बाद दिनांक 31.05.2025, 05.07.2025, 02.08.2025, 20.08.2025 व 03.09.2025 को प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि उन्हें जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतु एक और अवसर दिया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थना–पत्र पेश करने के पश्चात प्रतिवादीगण को प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा पांच पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि हस्तगत वाद की पत्रावली न्यायालय के टारगेटेड वादों में 13 नम्बर की पत्रावली होकर लगभग 14 वर्ष पुराना वाद है। अतः वाद की उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिवादीगण को वादी की ओर से प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना–पत्र जवाब पेश करने का अवसर समाप्त किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.09.2025 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर।